



सामाजार्थिक समीक्षा

कुमाऊँ मण्डल

वर्ष 2014—15



कार्यालय उप निदेशक,
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या – 05946–222465

E – Mail - dd1_stat@yahoo.co.in
ddecostat@gmail.com

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय / भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उठप्रो के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल $28'7^{\circ}$ से 30° उत्तरी अक्षांश तथा $78'7^{\circ}$ से $81'1^{\circ}$ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी⁰ है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।


कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते हैं। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे-बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये हैं। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते हैं। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50–60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते हैं। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रुहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यह भाग सामान्य उतार-चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढ़ला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की


चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊँची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात हैं। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।

नैनीताल :— अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे-बड़े अनेक ताल हैं, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है।



नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होंने ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और “नैनीताल कहा जाने लगा”। नैनीताल शहर वर्ष 1841 में बसने लगा। इसके पहले यहाँ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊँ के दूसरे कमिशनर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने ‘‘हिम्मला’’ नामक पुस्तक में लिखा है कि वहाँ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मिठी ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पाँच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटकों की आवाजाही रहती है।

अल्मोड़ा :— जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश



काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊँ कमिशनरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊँ मण्डल की कमिशनरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पॉच किमी लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में


रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहाँ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग से ग्लेशियरों तक पहुँचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

बागेश्वर :— जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरुड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देश-विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते हैं। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान है। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी

नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते हैं कि चन्द्रवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602ई0 में पुनर्निर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया। इस मन्दिर में सातवीं शताब्दी से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियाँ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी—देवताओं के अलग—अलग मन्दिर हैं। प्रतिवर्ष माह जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश—विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं।


ऊधमसिंहनगर :— जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रूद्र के किसी भक्त या रूद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रूद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगड़ियों से चलकर विशाल रूद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रूद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रूद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊधम सिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।



ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864–65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एकट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई। बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी⁰ परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उप निवेश योजना के अन्तर्गत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रान्ट एकट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उत्तराखण्ड, गढ़वाल, कुमाऊँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रुद्रपुर। इसीलिए 20–25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :— जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से



लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती हैं। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात हैं। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लैशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए हैं।

चम्पावत :- जनपद चम्पावत का सुजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम वनवसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।



जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं-कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है।


जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाधाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक है। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरि धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। मॉ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते हैं, जो जिला चम्पावत में ही स्थित है। जिला चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरु गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय-समय पर मेले आदि लगते हैं। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौले का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2

खनिज सम्पदा

कुमायूँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण सीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा है।



इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, कायनाईट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नेसाइट आदि पाया जाता है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यवसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नेसाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यवसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार है। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थों के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित हैं, जिनमें 41 तहसील, 4 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड हैं। मण्डल में 3 नगर निगम, 14 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 19 नगर पंचायत तथा 9 सेन्सस टाउन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7463 ग्राम हैं, जिनमें से 285 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 118 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6919 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं जनपद चम्पावत के कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7420 है। जिसमें से 285 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 118 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6876 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3484 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 29 व नगरीय क्षेत्र में 33 हैं।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयाँ

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
1.	अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा	1. भैसियाछाना 2. लमगड़ा (आंशिक) 3. धौलादेवी (आंशिक) 4. हवालबाग (आंशिक) 5. ताकुला (आंशिक)
		2. भनोली	1. धौलादेवी (आंशिक) 2. लमगड़ा (आंशिक)
		3. सोमेश्वर	1. ताकुला (आंशिक) 2. हवालबाग (आंशिक)
		4. भिक्यासैण	1. भिक्यासैण (आंशिक) 2. स्याल्दे (आंशिक) 3. सल्ट (आंशिक)
		5. रानीखेत	1. ताड़ीखेत 2. द्वाराहाट (आंशिक)
		6. चौखुटिया	1. चौखुटिया
		7. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट (आंशिक) 2. भिक्यासैण (आंशिक)
		8. सल्ट	1. सल्ट (आंशिक) 2. स्याल्दे (आंशिक)
		9. जयन्ती	1. लमगड़ा (आंशिक)

क्र० सं०	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
		2. गरुड़	1. गरुड़-बैजनाथ
		3. बागेश्वर	1. बागेश्वर (आंशिक)
		4. काण्डा	1.बागेश्वर (आंशिक) 2.कपकोट (आंशिक)
		5.दुग नाकुरी	1.बागेश्वर (आंशिक) 2.कपकोट (आंशिक)
		6. काफलीगैर	1. बागेश्वर
3.	नैनीताल	1. नैनीताल	1. भीमताल 2. रामगढ़(आंशिक) 3. कोटाबाग(आंशिक)
		2. कालाढ़ूगी	1.कोटाबाग(आंशिक)
		3. कोश्याकुटोली	1. रामगढ़(आंशिक) 2. बेतालघाट(आंशिक)
		4. धारी	1. धारी 2. ओखलकांडा
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट(आंशिक)
		6. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी(आंशिक)
		7. लालकुओँ	1. हल्द्वानी(आंशिक)
		8. रामनगर	1. रामनगर
4.	ऊधमसिंहनगर	1. काशीपुर	1. काशीपुर
		2. जसपुर	1. जसपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. किच्छा	1. रुद्रपुर
		5. गदरपुर	1. गदरपुर
		6. खटीमा	1. खटीमा
		7. सितारगंज	1. सितारगंज
5.	पिथौरागढ़	1. डीडीहाट	1. कनालीछीना 2. डीडीहाट (आंशिक)
		2. बेरीनाग	1. बेरीनाग 2. डीडीहाट (आंशिक)
		3. धारचूला	1. धारचूला
		4. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़(विण) 2. मूनाकोट
		5. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट
		6. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी
6.	चम्पावत	1. चम्पावत	1. चम्पावत(आंशिक)
		2. श्री पूर्णागिरी	1. चम्पावत(आंशिक)
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट
		4. पाटी	1. पाटी
		5. बाराकोट	1. बाराकोट

अध्याय – 4

जनसंख्या वितरण


जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	कुल जनसंख्या	पुरुष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		21034	4228998	2138287	2090711	201	978	78.52

कुमाऊँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमाऊँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%,



अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या

963 है। कुमाऊँ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा उधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू-भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरुष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरुष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते हैं, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।



खेत छोटे-छोटे तथा छिटके हैं, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना माईक्रोमोड योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2014–15 में उर्वरक का उपभोग (मै0टन में) निम्नानुसार रहा :—

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
1	पिथौरागढ़	301.28	107.31	31.52	440.11
2	अल्मोड़ा	125.27	47.88	14.59	187.74
3	नैनीताल	6416.00	1514.00	596.00	8526.00
4	ऊधमसिंह नगर	27169.00	7992.00	3109.00	38270.00
5	बागेश्वर	262.00	71.00	22.00	355.00
6	चम्पावत	373.98	68.55	48.76	491.28
योग मण्डल		34647.53	9800.74	3821.87	48270.13

कुमायूँ मण्डल में सकल बोये गये क्षेत्रफल वर्ष 2013–14, 588995 हैक्टेयर के आधार पर में उर्वरक का उपयोग प्रति है0 0.08 मै0टन है। सर्वाधिक प्रति है0 0.15 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला ऊद्यम सिंह नगर में तथा सबसे कम प्रति है0 0.006 मै0टन उर्वरक का उपयोग जिला पिथौरागढ़ में हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी होने के कारण अधिकांश भाग में कृषि होती है। अतः ऊधमसिंह नगर में उर्वरक का उपभोग सर्वाधिक है। पर्वतीय सम्भाग में अधिकांश भूमि असिचित होने के कारण उर्वरक का उपयोग कम है।

कृषि जोतों का आकार :—

कृषि गणना 2010–11 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :—

मण्डल / जनपद	0.5 है0 से कम		0.5 से 1.0 है0		1.0 से 2.0 है0	
	संख्या	क्षेत्रफल(हैक्टर)	संख्या	क्षेत्रफल(हैक्टर)	संख्या	क्षेत्रफल(हैक्टर)
1	2	3	4	5	6	7
पिथौरागढ़	45971	12706.66	24603	16976.05	7881	10669.42
अल्मोड़ा	43532	12887.57	38511	27853.65	22451	30576.95
नैनीताल	21987	6670.77	12247	9804.73	9637	14450.52
ऊधमसिंहनगर	44014	9628.00	20523	14355.96	20213	27664.95
बागेश्वर	34858	8507.46	13998	9426.99	4479	5742.04
चम्पावत	15848	5122.47	11542	8566.41	6517	9381.81
योग मण्डल	206210	55522.93	121424	86983.79	71178	98485.69

मण्डल / जनपद	2.0 है0 से 4.0 कम		4.0 से 10.0 है0		10.0 तथा उससे अधिक		कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	क्षेत्रफल(है0)	संख्या	क्षेत्रफल(है0)	संख्या	क्षेत्रफल(है0)	संख्या	क्षेत्रफल(है0)
	8	9	10	11	12	13	14	15
पिथौरागढ़	1335	3369.67	55	277.48	1	18.25	79846	44017.53
अल्मोड़ा	4570	11578.28	201	1000.16	3	48.31	109268	83944.92
नैनीताल	5069	13774.98	1556	8709.17	167	2484.22	50663	55894.39
ऊधमसिंहनगर	14804	40490.99	6793	37804.70	512	15899.19	106859	145843.79
बागेश्वर	503	1269.69	30	144.27	1	12.44	53869	25102.89
चम्पावत	2113	5803.24	244	1226.13	10	165.89	36274	30265.95
योग मण्डल	28394	76286.85	8879	49161.91	694	18628.30	436779	385069.47

जहाँ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू—भाग में एक ओर तो जोतें छोटी हैं दूसरी ओर जोत के अन्तर्गत आने वाले खेत भी छोटे—छोटे व ढालदार हैं।

कृषि गणना वर्ष 2010—11 के अनुसार मण्डल की लगभग 75.01 प्रतिशत जोतों का आकार एक है0 से कम है। लगभग 16.30 प्रतिशत जोतों का आकार एक से दो है0 के बीच, 8.53 प्रतिशत जोतों का आकार दो है0 से दस है0 के बीच तथा 0.16 प्रतिशत जोतों का आकार दस है0 से ऊपर है। मण्डल की भौति जनपदों में भी जोतों के वितरण की लगभग यही स्थिति है।

उक्त के अलावा एक है0 तक की जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल मात्र 37.01 प्रतिशत क्षेत्र हैं जबकि 25.57 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है0 क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, 32.58 प्रतिशत क्षेत्र दो से दस है0 तक की जोतों, एवं शेष 4.84 प्रतिशत दस है0 से अधिक जोतों के अन्तर्गत हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म (प्राग फार्म) एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्व विद्यालय, सितारगंज जेल, हेमपुर का आर्मी फार्म) स्थित हैं।

भूमि उपयोगिता

भूमि उपयोगिता वर्ष 2013–14 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में से सकल बोया गया क्षेत्रफल 25.14 प्रतिशत है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण मण्डल का 60.22 प्रतिशत वन क्षेत्र है। मण्डल के भीतर कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सकल बोये गये क्षेत्र का अनुपात सबसे कम 9.60 प्रतिशत जनपद पिथौरागढ़ में है, अधिकतम जनपद ऊधमसिंहनगर में 92.62 प्रतिशत है। अल्मोड़ा, चम्पावत, नैनीताल तथा बागेश्वर में क्रमशः 24.70%, 11.42%, 18.18% तथा 19.57% है। पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण हेतु कम से कम 66% क्षेत्रफल बनाच्छादित होना चाहिये अतः वनों के सघनीकरण तथा विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

शृद्ध सिंचित क्षेत्रफल का बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत में ऊधमसिंह नगर 98.19 प्रतिशत, नैनीताल 60.78 प्रतिशत तथा बागेश्वर में 21.18 प्रतिशत है। शेष जनपदों में सिंचित क्षेत्रफल पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति के कारण बहुत कम है जिसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

कृषि ऋण योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में बैंकों द्वारा कुल वर्ष 2014–15 में 67580 कृषकों को ₹0 113465.09 लाख धनराशि वितरित की गयी। जनपद अल्मोड़ा में 1678 कृषकों को ₹0 678.42 लाख, जनपद बागेश्वर में 3695 कृषकों को ₹0 1611.00 लाख, जनपद पिथौरागढ़ में 5333 कृषकों को ₹0 4020.82 लाख, जनपद चम्पावत में 3244 कृषकों को ₹0 1507.78 लाख, जनपद नैनीताल में 29943 कृषकों को ₹0 33314.00 लाख, जनपद ऊधमसिंह नगर में 23687 कृषकों को ₹0 72333.00 लाख का कृषि ऋण वितरित किया गया।

अध्याय – 6

उद्यान

कुमाऊँ मण्डल का अधिकाँश भाग पर्वतीय है। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण मण्डल उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिकीकरण की मुख्य समस्या समीपस्थ क्रय केन्द्रों का न होना है जिससे उद्योगपतियों को अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार मण्डल की जलवायु फल, सब्जी, आलू एवं मसाला फसलों के उत्पादन हेतु उपर्युक्त है। मण्डल में औद्यानिक गतिविधियों को संचालित करने हेतु उद्यान सचल दल केन्द्र तथा राजकीय पौधशाला स्थापित किये गये हैं। मण्डल में वर्ष 2013–14 में 261897.50 मैट्रिक टन आलू का उत्पादन किया गया है।

फलों के उत्पादन में मुख्य रूप से आम, लीची, सेब, नाशपाती, आडू, पुलम, अखरोट, माल्टा, सन्तरा, कागजी नीबू आदि तथा सब्जी के उत्पादन में मुख्य रूप से मटर, मूली, बन्दगोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, भिंडी, प्याज, टमाटर, बैंगन आदि का उत्पादन किया जाता है। बेमौसमी सब्जी उत्पादन में कृषकों का रुझान बढ़ रहा है।



मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2014–2015 में जनपदवार कुल उद्यानों की संख्या, उद्यान रक्षा सचल दल केन्द्रों की संख्या, फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या तथा कुल नर्सरियों की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कुल उद्यानों की संख्या (राजकीय)	कुल नर्सरियों की संख्या	उद्यान रक्षासचल दल केन्द्रों की सं0	फल संरक्षण केन्द्रों की संख्या
1	पिथौरागढ़	15	6	24	3
2	अल्मोड़ा	2	8	34	6
3	नैनीताल	7	7	29	5
4	ऊधमसिंहनगर	4	4	14	3
5	बागेश्वर	0	2	10	1
6	चम्पावत	6	6	12	3
योग मण्डल		34	33	123	21

मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में जनपदवार फल, सब्जी तथा आलू का क्षेत्रफल, उत्पादन का विवरण निम्न प्रकार रहा है :—

उत्पादन— मै0 टन , क्षेत्रफल —है0

क्र0 सं0	जनपद	फल		सब्जी		आलू	
		क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
1	पिथौरागढ़	4216.25	26014.40	2126.05	29669.61	453.52	5648.33
2	अल्मोड़ा	24129.00	185947.00	4375.00	43733.00	2444.00	53793.00
3	नैनीताल	25596.00	112610.00	8875.80	85116.00	2529.00	56643.00
4	ऊधमसिंह नगर	7166.00	56690.00	7447.00	90585.00	2759.00	57955.00
5	बागेश्वर	3887.00	17721.00	1963.00	13374.00	575.00	7905.00
6	चम्पावत	11462.00	18856.00	3755.00	27788.00	2515.00	42757.00
योग मण्डल		76456.25	417838.40	28541.85	290265.61	11275.52	224701.33

हाल्टीकल्चर टैक्नोलौजी मिशन – औद्योगिक विकास की समस्याओं को देखेते हुए वर्ष 2004–05 से औद्योगिक विकास को द्रुतगति प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल्टीकल्चर टैक्नोलौजी मिशन योजना आरम्भ की गयी। यह एक केन्द्र पोषित योजना है। हाल्टीकल्चर टैक्नोलौजी मिशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ़ में क्रमशः 59.00, 70.69, 38.36, 136.46, 253.99 तथा 25.11 लाख रु0 के सापेक्ष 27.33, 51.62, 38.36, 136.46, 231.12 तथा 21.63 व्यय किया गया। इसके अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण देकर औद्योगिकरण के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना में पुष्टउत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

उद्यान विभाग द्वारा जनपद नैनीताल के ज्योलीकोट में इण्डोडच मशरूम परियोजना में मशरूम उत्पादन तथा मशरूम हेतु कम्पोस्ट निर्माण का कार्य किया जाता है। साथ ही बी0पी0एल0 तथा ए0पी0एल0 काश्तकारों को मानक के अनुसार कम्पोस्ट आदि ढुलान पर राज सहायता उपलब्ध करायी जाती है। राजकीय उद्यान चौबटिया, अल्मोड़ा में माली प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे स्वतः रोजगार को भी प्रोत्साहन मिलता है।

अध्याय – 7

वन

कुमायूँ मण्डल में अधिकांश क्षेत्र वनों से आच्छादित हैं। भूमि उपयोग के आंकड़े वर्ष 2013–14 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 63.41 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत है। कुमायूँ मण्डल में 60.23 प्रतिशत क्षेत्र तथा गढ़वाल मण्डल में 65.46 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में से सर्वाधिक 73.10 प्रतिशत जिला नैनीताल तथा सबसे कम 33.30 प्रतिशत जिला ऊधमसिंह नगर वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। पिथौरागढ़ में 72.33 प्रतिशत, बागेश्वर में 52.99 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 50.80 प्रतिशत तथा चम्पावत में 56.74 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अन्तर्गत हैं। पर्वतीय क्षेत्र के संरक्षण हेतु कम से कम 66 प्रतिशत क्षेत्रफल में वनों का होना आवश्यक है। इस दृष्टि से वनों के सघनीकरण एवं विस्तार की नितान्त आवश्यकता है।

वन उत्पादन :– पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरुश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती हैं तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कथा उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षों का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख हैं। ये अधिकांश मात्रा

में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत् रूप से कर रहा है।



घने जंगलों में पशु पाये जाते हैं जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे-धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियाँ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। जिसमें कार्बैट नेशनल पार्क ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश-विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेड़ों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जड़ी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनों के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं/उपधाराओं के प्राविधानों के अनुसार वनों का रखरखाव किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते हुए जैवीक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा

विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनों पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितिया है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155 / 1—व0ग्रा0वि 2001—बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनों का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यों में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

अध्याय – 8

पशुपालन

पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का विशिष्ट स्थान है, भौगोलिक स्थिति के अनुरूप यहां भेड़, बकरी, गौ पालन व कृषि आय के मुख्य साधन रहे हैं। पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 2241229 पशु हैं। कुल पशुधन में 905719 गौवंशीय, 460902 महिषवंशीय, 32 याक, 661114 बकरे-बकरियां, 70929 भेड़ें, 4316 सुअर, 15949 घोड़े, गधे, टट्टू तथा 122268 अन्य पशु हैं। कुकुटों की संख्या 3909847 है।

कुमाऊँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तराखण्ड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 39.32 प्रतिशत है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या इसकी जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या का 41.99 प्रतिशत है। पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार मण्डल के भीतर सबसे कम पशुधन 7.88 प्रतिशत जनपद चम्पावत में तथा सबसे अधिक 23.89 प्रतिशत जनपद पिथौरागढ़ में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि के बाद पशुपालन पर ही आधारित होती है। पशुपालन द्वारा ही ग्रामवासियों के आर्थिक सुधार के साथ स्वारक्ष्य में भी सुधार होता है।



पशुगणना वर्ष 2012 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में जनपद वार कुल पशुओं के सापेक्ष गौवंशीय पशुओं का प्रतिशत जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊसिंहनगर, पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में क्रमशः 40.23, 38.46, 51.44, 39.39, 39.93 व 54.81 प्रतिशत है तथा महिषवंशीय पशुओं का प्रतिशत क्रमशः 19.71, 13.42, 26.42, 46.87, 10.08 व 13.85 प्रतिशत है। इस प्रकार गौवंशीय पशुओं का प्रतिशत जनपद चम्पावत में अपेक्षाकृत अधिक तथा बागेश्वर में बहुत कम है। कुमाऊँ मण्डल में क्रासब्रीड गोजातीय पशुओं का प्रतिशत गतवर्षों के तुलना में बढ़ रहा है।

भेड़ों की संख्या मण्डल में सर्वाधिक पिथौरागढ़ में है जो मण्डल की कुल भेड़ों का 66.74 प्रतिशत है। मण्डल में सबसे कम भेड़ों की संख्या जनपद चम्पावत में है जो लगभग 0.011 प्रतिशत है। बकरे, बकरियों की संख्या मण्डल के जनपद पिथौरागढ़ में सर्वाधिक है जो मण्डल की कुल संख्या का लगभग 30.44 प्रतिशत है तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में सबसे

कम 6.50 प्रतिशत है। मण्डल में सुअरों की संख्या 4.316 हजार है। मण्डल में सर्वाधिक सुअरों की संख्या जनपद ऊधमसिंहनगर में है। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में भेड़ों के ऊन से थुलमे, पंखी, स्वेटर, कालीन आदि बनाने के लघु उद्योग चल रहे हैं।

मण्डल में कुक्कुटों की संख्या सर्वाधिक जनपद ऊधमसिंहनगर में है जो मण्डल की कुल कुक्कुट संख्या का 78.34 प्रतिशत है तथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ व चम्पावत में यह संख्या मण्डल के अनुपात में क्रमशः 2.71, 0.66, 15.20, 1.04, व 2.04 प्रतिशत है। जनपद ऊधमसिंहनगर में नगरीय क्षेत्र अधिक होने के कारण कुक्कुट पालन का प्रचलन अधिक है मण्डल में बढ़ती हुई अण्डों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए कुक्कुट पालन को सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाये जाने हेतु प्रोत्साहन की आवश्यकता है।

पर्वतीय क्षेत्र में पशुधन की दयनीय स्थिति है। औसत दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। पर्वतीय भाग में देशी नस्ल के जानवर ही उपलब्ध हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्र में चारा विकास कार्यक्रम संचालित कर अच्छे नस्ल के पशुओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। कुमायू मण्डल में 138 पशु चिकित्सालय, 6 सचल दल चिकित्सालय, 366 पशुधन विकास केन्द्र, 354 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/उपकेन्द्र हैं। जनपदवार वर्ष 2014–15 तक उपलब्ध सुविधायें निम्नानुसार हैं :—

क्रो सं०	संस्थाओं के नाम	जनपद						योग मण्डल
		अल्मोड़ा	बागेश्वर	नैनीताल	ऊनगर	पिथौ०	चम्पावत	
1	पशु चिकित्सालय	37	11	27	22	28	13	138
2	पशुधन विकास केन्द्र	77	32	98	74	62	23	366
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र/ उपकेन्द्र	70	21	98	96	41	28	354
4	सचल पशु चिकित्सालय	1	1	1	1	1	1	6

प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही है, जिनमें से पशुरोग नियंत्रण हेतु वैक्सीन क्रय, पशुओं में सामुहिक रूप से दवापान की योजना, चारा विकास कार्यक्रम का संधनिकरण तथा सचल पशु चिकित्सा आदि प्रमुख है।

अध्याय – 9

सहकारिता


वर्तमान में सहकारिता विभाग में त्रिस्तरीय ढाँचा कार्यरत है, जिसके अन्तर्गत शीर्ष स्तर पर शीर्ष संस्थायें उत्तराखण्ड सहकारी बैंक एवं उत्तराखण्ड विपणन संघ कार्यरत हैं। जनपद स्तर पर जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी संघ एवं केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार आदि केन्द्रीय संस्थायें हैं। इनके अतिरिक्त प्रारम्भिक स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति, प्रारम्भिक उपभोक्ता समितियाँ, महिला उपभोक्ता समिति, वैतनभोगी सहकारी समिति, श्रम समिति आदि प्रकार की समितियाँ कार्यरत हैं। सहकारी विभाग में निम्न मुख्य योजनायें कार्यरत हैं।

ऋण एवं अधिकोषण योजना :— उक्त योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के माध्यम से फसली एवं मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाते हैं। समितियों में मिनी बैंक भी कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से समितियों को अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। सहकारी बैंक के माध्यम से समस्त प्रकार की समितियों को उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय एवं अन्य प्रकार के व्यवसायों के लिये ऋण सीमायें उपलब्ध कराई जाती हैं। सहकारी बैंक उपभोक्ता उपभोग ऋण एवं अन्य व्यवसायिक ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। मण्डल में जिला सहकारी बैंक की 121 शाखायें कार्यरत हैं।

उपभोक्ता योजना :— उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, जिला सहकारी संघ की शाखायें कार्यरत हैं। जिला सहकारी संघ के माध्यम से जनपद की प्रारम्भिक समितियों में उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है।

जड़ी-बूटी एवं भेषज योजना :-

पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जड़ी-बूटी भेषज योजना
कृषकों के लिए एक लाभदायक योजना है। इस योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर



भेषज संघ के माध्यम से जड़ी-बूटी का विदोहन एवं उसका क्रय-विक्रय किया जाता है।

अध्याय – 10

सिंचाई

मण्डल के पर्वतीय जनपदों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर आधारित है जिस कारण उन्नतशील बीजों एवं उर्वरक रसायनिकों का प्रयोग कम हो पाता है। शासन द्वारा चलाये जा रहे राजकीय सिंचाई एवं निजी लघु सिंचाई के माध्यम से नहरें, गूल, हौज एवं हाईड्रम का निर्माण कर सिंचन क्षमता में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। जनपद ऊधमसिंहनगर एवं जनपद नैनीताल के भाबर व तराई क्षेत्र में सिंचाई के अधिक साधन उपलब्ध हैं। जहाँ नहर, गूल, हौज के अतिरिक्त भूस्तरीय पम्प सैटों से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।



मण्डल के अन्तर्गत राजकीय नहरों की लम्बाई 3430.46 किमी0, लघुडाल नहरों की लम्बाई 155.63 किमी0, राजकीय नलकूपों की संख्या 664 एवं बोरिंग पर लगे भूस्तरीय पम्प सैटों/निशुल्क बोरिंग की संख्या 27050, हौजों की संख्या 15643, हाईड्रमों की संख्या 736 तथा कुल गूलों की लम्बाई 12974.87 किमी0 है। मण्डल में उक्त साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 177745 है0 तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 320918 है0।

लघु सिंचाई द्वारा जिला योजना अन्तर्गत गूल, हौज एवं हाईड्रम योजनाओं का निर्माण किया जाता है। हाईड्रम योजना को पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाले जल श्रोतों से पानी लिफ्ट करके उसमें आसानी से ऊपरी भूमि पर सिंचाई सुविधा सृजित की जा सकती है। कुमायूँ मण्डल में कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में से 24.48 प्रतिशत क्षेत्र नहरों द्वारा 63.10 प्रतिशत क्षेत्रफल नलकूपों द्वारा तथा 12.42 प्रतिशत क्षेत्र अन्य साधनों द्वारा सिंचित है।

मण्डल में कृषि सांख्यिकीय वर्ष 2013–2014 के अनुसार जनपदवार विभिन्न श्रोतों से सिंचित क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है :—

हेक्टेर

क्र0 सं0	स्रोत	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
1.	नहरें	2933	20717	171	14064	4189	1442	43516
2.	नलकूप	0	4695	0	107439	0	18	112152
3.	कुएं	0	919	0	14983	0	14	15916
4.	तालाब/ पोखर/झील	0	0	0	57	0	0	57
5.	अन्य	1581	426	2907	291	670	229	6104

बीस सूत्रीय कार्यक्रम – लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में कुमाऊँ मण्डल हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6510 है0 के सापेक्ष 6814.23 है0 सिंचन क्षमता अर्जित की। वर्ष 2014–15 में कुमाऊँ मण्डल के सभी जनपदों द्वारा शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए “ए” श्रेणी प्राप्त की।

राजकीय सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 में कुमाऊँ मण्डल हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 5813 है0 के सापेक्ष 5937 है0 सिंचन क्षमता अर्जित की। वर्ष 2014–15 में कुमाऊँ मण्डल के सभी जनपदों द्वारा शासन स्तर से निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करते हुए “ए” श्रेणी प्राप्त की।

अध्याय—11

दुग्ध विकास

मण्डल के पर्वतीय जनपदों में जनता का रुझान पशुपालन तथा डेयरी उद्योग की तरफ बहुत कम है। कुछ कृषक जो दुधारू पशु गाय, भैंस पालन का कार्य करते हैं, परन्तु, उनके पास अच्छी नस्ल के पशु न होने से दुग्ध उत्पादक नगण्य है। परिणाम स्वरूप लोगों में दुधारू पशुपालन में रुचि हटती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र में उन्नत चारे की समस्या है। जिस कारण अच्छे नस्ल के पशुओं का पालन नहीं हो रहा है। जिसका सीधा प्रभाव दुग्ध उत्पादन पर पड़ रहा है। अतः पर्वतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम सघन चारा विकास कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है। उन्नत चारे की व्यवस्था के उपरान्त अच्छे नस्ल के पशुओं के पालन की ओर कृषकों का रुझान बढ़ सकता है। डेयरी विकास विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में दुग्ध समितियों का गठन कर दुग्ध व्यवसाय के कार्य को सहकारिता के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2014–15 में कुमायूँ मण्डल में 2100 दुग्ध समितियां गठित हैं, जिसमें से जनपद नैनीताल में 531, जनपद ऊधमसिंह नगर में 565, जनपद अल्मोड़ा में 399, जनपद बागेश्वर में 110, जनपद पिथौरागढ़ में 285 तथा जनपद चम्पावत में 210 समितियां कार्यरत हैं। सर्वाधित समितियां ऊधमसिंह नगर में तथा सबसे कम समितियां बागेश्वर में हैं।

समितियों के माध्यम से पशु आहार पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान पश्चात् उचित दरों पर अच्छा पशु आहार सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है। कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2014–15 तक गठित कुल समितियां 2100 में से 1579 कार्यरत रही हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 89171 है। कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2014–15 में प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय 114889 ली0 रहा, जिसमें जनपद नैनीताल में 69942 ली0 जनपद ऊधमसिंह नगर में 30161 जी0, जनपद अल्मोड़ा में 8585 ली0, जनपद पिथौरागढ़ में 4191 ली0 तथा जनपद चम्पावत में 2010 ली0 रहा। जनपद नैनीताल में सर्वाधित तथा जनपद चम्पावत में सबसे कम औसत दुग्ध विक्रय रहा। वर्ष 2014–15 में कुमायूँ मण्डल में दैनिक दुग्ध उपार्जन 128432 लीटर प्रतिदिन रहा। जनपद नैनीताल में सर्वाधिक 65045 लीटर प्रतिदिन तथा जनपद बागेश्वर में सबसे कम 375 लीटर दैनिक दुग्ध उपार्जन रहा। जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चम्पावत तथा ऊधमसिंह नगर में दैनिक दुग्ध उपार्जन क्रमशः 9677, 4216, 8960 तथा 40159 लीटर प्रतिदिन रहा।

मा० मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड सरकार की घोषणा अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों हेतु डेरी विकास विभाग द्वारा दो महात्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही हैं—

1. “गंगा गाय महिला डेरी योजना”:

- “गंगा गाय महिला डेरी योजना” के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्य देते बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में 366 महिला दुग्ध उत्पादक सदस्यों को लाभान्वित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में “योजना की प्रतियूनिट लागत का विवरण निम्नवत् है—

क्र.सं.	विवरण	लागत	अनुदान	बैंक ऋण	लाभार्थी अं०
1.	एक क्रास ब्रीड गाय	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	2,800	1,400	0	1,400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1,700	850	0	850
4.	दुधारू पशु हेतु 4–5 माह के लिए चारे दाने की व्यवस्था	5,500	2,750	0	2,750
5.	पशुशाला निर्माण	15,000	12,000	0	3,000
6.	पशु नॉद निर्माण	5,000	4,000	0	1,000
	योग—	70,000	41,000	20,000	9,000

2. “दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना”:

- दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने एवं दुग्ध सहकारिता से जोड़ने के उद्देश्य से “दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना” प्रारंभ हुई है।
- योजना अन्तर्गत प्रत्येक दुग्ध उत्पादक सदस्यों को 4.00 प्रति लीटर की दर से दुग्ध क्य मूल्य के अतिरिक्त “प्रोत्साहन राशि” प्रदान की जा रही है।
- उक्त योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 841.18 लाख की धनराशि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को भुगतान किया गया है।

अध्याय – 12

मत्स्य विकास

मत्स्य पालन द्वारा रोजगार सृजन की अपार सम्भावनायें हैं। विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न योजनाएं मण्डल में चलायी जा रही हैं:—

(अ) कच्चे तालाबों का निर्माण

पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शीत जल मत्स्यकी का विकास योजना के नाम से रनिंग वाटर तालाब निर्माण की योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में योजना अन्तर्गत 12 हजार रु० प्रति यूनिट की दर से एक लाभार्थी को अधिकतम 3 यूनिट या 300 वर्गमी० हेतु 36 हजार रु० तक अनुदान दिया जा रहा है।

(ब) मत्स्य पालन प्रशिक्षण

मत्स्य पालकों को दस (10) दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि मत्स्य पालक वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन कर अधिक उत्पादन कर सके। योजना के नाम के अनुसार रु० 150/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता तथा रु० 250/- एक फील्ड ट्रिप (स्थल भ्रमण) भत्ता देय है। इस प्रकार एक प्रशिक्षार्थी को रु० 1750/-मात्र प्रशिक्षण भत्ता देय होता है।

(स) मत्स्य बीज वितरण

योजना के अन्तर्गत निर्मित कराए गए तालाबों में विभाग द्वारा उन्नत प्रजाति



का मत्स्य बीज राजकीय दरों पर वितरित किया जाता है। मत्स्य बीज का वितरण भीमताल मत्स्य प्रक्षेत्र नैनीताल, मनान मत्स्य प्रक्षेत्र अल्मोड़ा तथा उधमसिंहनगर स्थित विभागीय धौरा मत्स्य प्रक्षेत्र एवं अभिकरण की हैचरी, हेमपुर (काशीपुर) से किया जाता है।

मत्स्य पालन के द्वारा उपलब्ध जल श्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी किया जा सकता है। मत्स्य पालन हेतु संरक्षित जल श्रोत से इसके आस-पास नमी बनी रहती है, जिससे वनस्पति का दोगुना उत्पादन होने के साथ-साथ जलीय पारिस्थितिकी में भी संतुलन बना रहता है।

मत्स्य पालन योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ-साथ प्रोटीनयुक्त मांसाहार की सस्ती एवं सहज आपूर्ति होने पर कुपोषण की समस्या भी दूर हो सकती है। तालाब निर्माण से पशुओं के पीने के पानी की समस्या दूर होने के साथ-साथ सब्जी उत्पादन को भी बढ़ावा मिला है। पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन हेतु सैकड़ों हैक्टर नदी के किनारे के निष्ठयोज्य भूमि तथा मैदानी क्षेत्रों के निष्ठयोज्य दलदली भूमि का भरपूर उपयोग करने हेतु मत्स्य विभाग कों जिला योजना से भी प्रयाप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। कुमाऊँ मण्डल में इस विभाग के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं जिसमें तैनाती की व्यवस्था अपेक्षित है।

अध्याय—13

ग्राम्य विकास


1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :—



स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में परिवर्तित हो चुकी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के बी0पी0एल0 परिवारों विशेषकर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित कर समूहों के माध्यम से सशक्त करते हुए बचत की प्रवृत्ति का विकास करना एवं ऋण उपादान के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करना है।

2. इन्दिरा आवास योजना :—

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मुक्त बंधुवा मजदूरों, अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति तथा विकलांगों, मृतक सैनिकों/ अर्द्ध सैनिकों के परिवारों/ विधवाओं, भूतपूर्व/ सेवानिवृत्त सैनिकों, अर्द्ध सैनिकों को बिना आय सीमा के बाधा के एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों को आवास उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत लक्षित समूह, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के आवास विहीन परिवार होंगे। गैर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या की कुल लाभार्थियों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना में प्रति आवास पर्वतीय क्षेत्रों



30

हेतु 75000 रु0 मात्राकृत है। आवास में शौचालय, धूम्र रहित चूल्हा, आवास नाम पट्टिका होना आवश्यक है। जनपदवार वर्ष 2013–14 की प्रगति निम्न प्रकार है :—

जनपद	लक्ष्य	पूर्ति
अल्मोड़ा	101	206
बागेश्वर	130	147
नैनीताल	167	192
ऊधमसिंह नगर	1395	1405
पिथौरागढ़	107	881
चम्पावत	130	190
योग मण्डल	2030	3021

3. नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना :— नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रु0 32000 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण हेतु रु0 10000 अनुदान तथा रु0 40000 बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्राविधान है।

4. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम :— राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा



श्रोत मंत्रालय भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं लाभार्थियों का चयन इस योजना में किया जाता है, जो इसमें रुचि रखते हो तथा इसे अपने व अपने परिवार के विकास का एक आवश्यक अंग मानते हैं, साथ ही इस योजना को अंगीकार करने के इच्छुक भी हो। यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि केवल वे ही लाभार्थी इस योजना के लिए चयन किये जाय जिनके पास स्वयं के पर्याप्त पशु हों। बायोगैस संयत्रों पर जिनकी क्षमता एक घन मी0 से 10 घन मी0 तक है, उन्हें

रु0 10000 अनुदान दिया जाता है। बायोगैस संयत्रों को स्वच्छ शौचालयों से जोड़ने पर रु0 1000 प्रति संयत्र की अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2014–15 में 411 बायोगैस संयत्रों का निर्माण किया गया, जनपदवार सूचना निम्न प्रकार है:—

जनपद	लक्ष्य	पूर्ति
अल्मोड़ा	40	40
बागेश्वर	8	8
नैनीताल	175	175
ऊधमसिंह नगर	165	165
पिथौरागढ़	15	15
चम्पावत	8	8
योग मण्डल	411	411

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) :—



उद्देश्य :— ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 दिवस के श्रम रोजगार की कानूनी गारण्टी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा की वृद्धि। जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचन सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण व जल विकास व सर्वमौसम सङ्करण द्वारा संयोजकता संबंधी कार्यों का निष्पादन।

पात्रता :— पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक

हों।

योजना का कार्य क्षेत्र :— सम्पूर्ण राज्य

क्रियान्वयन प्रक्रिया :— ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण।

श्रम रोजगार के इच्छुक ग्रामीण परिवारों के परिचय पत्र/जाब कार्ड की सुविधा।

ग्राम स्तर पर इस कार्य का संचालन ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है। जाब कार्ड के माध्यम से इच्छुक कार्य करने वाले व्यक्तियों का

नामांकन किया जाता है, जिन्हें 15 दिन के भीतर अपने ग्राम पंचायत या निकट के ग्राम पंचायत में काम दिया जाता है। इनके मजदूरी का भुगतान पोस्ट आफिस या बैंक के माध्यम से किया जाता है।

- पंजीकृत मजदरों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन।
- योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित।
- पंजीकृत आवदेनकर्त्ता द्वारा कार्य हेतु आवदेन प्राप्ति पर श्रम रोजगार की उपलब्धता 15 दिवस के भीतर।
- कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य के लिए अवेदन करना अनिवार्य।

अधिनियम के अन्तर्गत वरीयतानुसार अनुमन्य कार्य :-

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
- सूखा निवारण, वनीकरण व वृक्षारोपण।
- सिंचाई नहर जिसमें सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य भी सम्मिलित है।
- अनुजाति/जनजाति के परिवारों अथवा भूमि सुधार योजना के लाभार्थी परिवारों की भूमि हेतु सिंचाई सुविधा का प्रविधान।
- परम्परागत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार जिसमें तालाबों की सफाई भी सम्मिलित है।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्य जिसमें जल भराव क्षेत्रों से जल निकास भी सम्मिलित है।
- सर्वमौसम सड़क सम्पर्क द्वारा ग्रामीण संयोजकता।

कार्यस्थलीय सुविधायें :-

- चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता।
- छ: वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य किए जाने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों हेतु क्रेच की व्यवस्था।
- कार्य करते दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी देय। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि देय।

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया :-

- राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी देय। वर्तमान दर ₹0 156 प्रतिदिन प्रतिश्रमिक निर्धारित।
- महिला तथा पुरुष को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था।
- विलम्बतम 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था।
- कार्यों के लिए श्रमांश कम से कम 60 तथा सामग्री अंश अधिकतम 40 निर्धारित जिसमें कुशल व अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है।

बेरोजगारी भत्ता :-

- पंजीकृत मजदूरों को निर्धारित अवधि के भीतर कार्य आवंटन न होने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देय।
- प्रथम 30 दिवसों हेतु मजदूरी की एक चौथाई एवं शेष अवधि के लिए मजदूरी की आधी दर।
- खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी बेराजगारी भत्ता भुगतान हेतु उत्तरदायी।

वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था :-

- **केन्द्र सरकार द्वारा** – अकुशल मजदूरों की पूर्ण मजदूरी तथा कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों को देय मजदूरी एवं सामग्री अंश का 75।
- **राज्य सरकार द्वारा** – कुशल एवं अर्द्धकुशल मजदूरों की कुल मजदूरी एवं सामग्री अंश का 25 तथा बेराजगारी भत्ता देय।

आवंटन प्रक्रिया :-

- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक को अपने—अपने अंश की धनराशि अग्रिम रूप से उपलब्ध कराया जाना।
- कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अग्रिम के रूप में अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था।
- क्रमिक धनावंटन उपयोग एवं मांग आधारित।

पारदर्शिता :-

- कार्य के वित्तीय एवं भौतिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अतिरिक्त महालेखाकार/सी0ए0जी0 भारत सरकार, स्थानीय लेखा सम्प्रेक्षा तथा विभागीय सम्प्रेक्षा द्वारा सम्प्रेक्षण की व्यवस्था।
- ग्राम पंचायत के विवरणों के सम्प्रेक्षण हेतु अन्तर्जनपदीय सम्प्रेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक सम्प्रेक्षण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन।
- जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं सतक्रता समितियों द्वारा निगरानी।

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए सम्प्रक्र करें :-

- **शासन स्तर पर** – प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव / विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तरांचल शासन।
- **विभागाध्यक्ष स्तर पर** – आयुक्त/उपायुक्त/सहा0 आयुक्त ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौडी, अधिशासी निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
- **जनपद स्तर पर** – जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक।
- **विकास खण्ड स्तर पर** – खण्ड विकास अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी।
- **ग्राम पंचायत स्तर पर** – प्रधान ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी।

मजदूरी पंजीकरण हेतु आवदेन करें :-

- ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में।

जाब कार्ड हेतु सम्पक्र करें करें :-

- ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत में
- खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

कार्य आवंटन हेतु सम्पक्र करें करें :-

- ग्राम प्रधान / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- खण्ड विकास अधिकारी / कार्यक्रम अधिकारी

योजनान्तर्गत मण्डल में कुल उपलब्ध धनराशि ₹0 10549.13 लाख में से वर्ष 2014–15 में ₹0 10479.27 लाख व्यय किया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

क्र० सं०	जनपद	वर्ष में योजना से रोजगार प्राप्त व्यक्ति		नगद मजदूरी के रूप में दी गई मजदूरी (लाख रूपया)
		पुरुष	स्त्री	
1	अल्मोड़ा	11908	19734	1129.54
2	बागेश्वर	10318	4696	770.94
3	नैनीताल	15913	4464	821.09
4	ऊधमसिंह नगर	19873	11672	958.00
5	पिथौरागढ़	32698	22769	1926.83
6	चम्पावत	7882	6003	806.66
योग मण्डल		98592	69338	6413.06

6. सार्वभौम रोजगार योजना :- योजना के अन्तर्गत ऐसे इच्छुक युवक / युवतियों, पुरुषों एवं महिलाओं हेतु स्वरोजगार लक्षित करती है, जो स्थानीय रूप में स्वरोजगार अथवा रोजगार अपनाकर जीविकोपार्जन करना चाहते हैं। इसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो केन्द्र अथवा राज्य द्वारा प्रायोजित एवं सहायतित किसी भी ऋण सह अनुदान स्वरोजगार / रोजगार योजना का लाभार्थी न हो एवं सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्रों में निर्मित रूप से सेवायोजित न हो, पात्रता की श्रेणी में आता है। योजना में 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं 33 प्रतिशत महिलाओं एवं 3 प्रतिशत विकलांगों का आच्छादन किया जाता है। योजना के अन्तर्गत चयनित क्रिया कलापों / गतिविधियों के लिए प्रथम वर्ष

रु0 7000, द्वितीय वर्ष रु0 5000 प्रोत्साहन अनुदान एवं तृतीय वर्ष में रु0 3000 प्रोत्साहन अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त स्नातक एवं उससे अधिक शिक्षित स्वरोजगारी को अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान कुल देय अनुदान का 10 प्रतिशत है। अनुदान की राशि किसी भी दशा में प्रयोजना लागत की 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। योजना के अन्तर्गत जड़ी-बूटी एवं सुगन्ध पादप, खाद्य प्रसंस्करण, पनचक्की सेवा व्यवसाय, वाणिज्य कृषि, शिल्पकारी आदि क्रिया कलाप हेतु स्वरोजगारियों को वित्त पोषित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत मण्डल में वर्ष 2013–14 का अवशेष 10.21 लाख रु0 तथा वर्ष 2014–15 में आवंटित धनराशि 33.33 लाख रु0 है, इस प्रकार मण्डल स्तर पर कुल 43.54 लाख रु0 उपलब्ध हुए। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में 41.70 लाख रु0 व्यय किया गया।

अध्याय – 14

विद्युत

आर्थिक विकास हेतु प्रमुख अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की आवश्यकता के अन्तर्गत विद्युत सबसे प्रमुख है। सामान्यजन के जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन विद्युत पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिये भी विद्युत का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। कुमायू मण्डल में 6876 राजस्व ग्राम है, जिनमें से वर्ष 2014–15 के अन्त तक 6864 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिला



नैनीताल, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर तथा चम्पावत में सभी ग्राम विद्युतीकृत हैं। पिथौरागढ़ में 99.61 प्रतिशत तथा बागेश्वर में 99.29 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

जनपदवार विद्युतीकृत ग्रामों का विवरण वर्ष 2014–15 की स्थिति के अनुसार


निम्नानुसार है:—

क्र0 सं0	जनपद	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या			
		पावर कारपोरेशन द्वारा	उरेडा द्वारा	लघु जल विद्युत	योग
1.	अल्मोड़ा	2155	1	0	2156
2.	बागेश्वर	790	20	31	841
3.	नैनीताल	1050	0	0	1050
4.	पिथौरागढ़	1444	86	0	1530
5.	ऊधम सिंह नगर	655	0	0	655
6.	चम्पावत	605	27	0	632
योग मण्डल		6699	134	31	6864

अध्याय – 15

उद्योग

आर्थिक विकास के युग में अब यह निर्विवाद रूप से परिलक्षित हो रहा है कि उद्योगों के बिना किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास मात्र कल्पना ही है। ऐसी स्थिति में उद्योगों की आवश्यकता मूलभूत आवश्यकताओं के समान है। एक तरफ उद्योगों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारों को रोजगार के साथ-साथ अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार उद्योगों का विकास आर्थिक विकास का प्रमुख घोतक है। कारखाना अधिनियम 1948 के



अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में 1432 कारखाने क्रियाशील हैं। इन कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 86264 है। जनपद ऊधमसिंह नगर में स्थापित पंजीकृत कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 79492 है, जो कुमाऊँ मण्डल में कार्यरत कारखानों में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का 92 प्रतिशत है।

खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2014–15 तक 6244 इकाइयों में 17020 व्यक्ति कार्यरत है। लघु उद्योग के अन्तर्गत 9501 इकाईयों में 29969 व्यक्ति कार्यरत है।

सिडकुल :- जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2010–11 तक 73 वृहत उद्योग, उद्योगपतियों द्वारा स्थापित किये गये हैं। उत्तराखण्ड शासन ने 70 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी बेरोजगार नव युवकों को रोजगार देने का निर्णय लिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
उद्योग विभाग **माह: मार्च, 2015** **(धनराशि लाख रु० में)**

क्र० सं०	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (संख्या में)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र		बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र के सापेक्ष वितरित प्रार्थना पत्र का प्रतिशत
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अल्मोड़ा	56	142	524.68	110	379.25	108	375.83	76.06
2	बागेश्वर	52	85	252.50	68	185.10	58	110.13	68.24
3	पिथौरागढ़	57	40	57.10	29	46.00	18	27.36	45.00
4	चम्पावत	57	123	497.61	70	263.90	70	263.90	56.91
5	नैनीताल	59	100	502.00	47	230.75	42	178.53	42.00
6	ऊधमसिंह नगर	53	54	238.77	30	124.22	22	96.65	40.74
योग कुमाऊँ		334	544	2072.66	354	1229.22	318	1052.40	58.46

अध्याय – 16

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पर्क की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2014–15 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत पक्की सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है :—

क्र0सं0	जनपद	लोक निर्माण विभाग की सड़कों की लं0 (किमी0)	अन्य विभागों के अन्तर्गत सड़कों की लम्बाई (किमी0)	कुल पक्की सड़कों की लं0 (किमी0)
1	अल्मोड़ा	2982	131	3113
2	बागेश्वर	674	37	711
3	नैनीताल	3072	1528	4600
4	ऊधमसिंहनगर	2052	1569	3621
5	पिथौरागढ़	1581	337	1918
6	चम्पावत	748	406	1154
योग मण्डल		11109	4008	15117

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमायू मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 357.58



किमी0 है। कुमायू मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 444.69 किमी0, नैनीताल में 482.00 किमी0, अल्मोड़ा में 500.31 किमी0, पिथौरागढ़ में 396.89 किमी0, बागेश्वर में 273.83 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर 219.63 किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमायू मण्डल

में प्रति हजार वर्ग किमी⁰ पर पक्की सड़कों की लम्बाई 718.94 किमी⁰ है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 1424.66 किमी⁰, नैनीताल में 1082.37 किमी⁰, अल्मोड़ा में 992.18 किमी⁰, चम्पावत में 653.81 किमी⁰, बागेश्वर में 316.86 किमी⁰ तथा पिथौरागढ़ में मात्र 270.62 किमी⁰ है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ़, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहाँ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहाँ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :— मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाईनें 70प्र० के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती है, जिसमें सभी स्टेंडर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाईनों की कुल लम्बाई 212 किमी⁰ है, इन रेल लाईनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहाँ तक पहुँचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :— वर्ष 2014–15 तक कुमायूँ मण्डल में 1145 डाक घर स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 322, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 151, ऊधमसिंह नगर में 110 तथा चम्पावत में 83 डाकघर हैं। कुमायूँ मण्डल में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 76118 है। जिसमें से सर्वाधिक 42690 जनपद ऊधमसिंह नगर में टेलीफोन कनैक्शन हैं। 10374 जनपद अल्मोड़ा में, 16308 जनपद नैनीताल में, 1500 जनपद चम्पावत में 3515, जनपद पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में 1731 टेलीफोन कनैक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 17

बैंकिंग सेवा

बैंकिंग सेवा के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 500,



क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 128 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 160 कार्यरत हैं। वर्ष 2014–15 में व्यवसायिक बैंकों की जमा धनराशि 79829801 लाख रुपया है। बैंकों द्वारा वर्ष 2014–15 में 34482595 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2014–15 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 43.20 रहा है। वर्ष 2014–15 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 10284675 लाख रुपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 20608219 लाख रुपया ऋण वितरित किया गया है।


वर्ष 2014–15 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा	अन्य व्यवसायिक बैंक शाखा	जिला सहकारी बैंक	सहकारी बैंक की शाखा	सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक शाखा
1	अल्मोड़ा	77	26	12	1	21	1
2	बागेश्वर	26	14	3	--	8	--
3	नैनीताल	126	30	52	1	29	2
4	ऊधमसिंह नगर	194	20	71	4	27	4
5	पिथौरागढ़	50	30	3	1	21	--
6	चम्पावत	27	8	19	--	8	--
योग मण्डल		500	128	160	7	114	7

अध्याय – 18

शिक्षा

शिक्षा का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा पर निर्भर करती है। अतः शिक्षा आर्थिक विकास का



अभिन्न अंग है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर को अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक राजस्व ग्राम में प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायू मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। कुमायू मण्डल

में महिला साक्षरता का प्रतिशत 69.61 तथा जबकि पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 87.36 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमायू मण्डल के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

क्र0सं0	जनपद	पुरुष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	92.86	69.93	80.47
2	नैनीताल	90.07	77.29	83.88
3	ऊधमसिंहनगर	81.09	64.45	73.10
4	पिथौरागढ़	92.75	72.29	82.25
5	बागेश्वर	92.33	69.03	80.01
6	चम्पावत	91.61	68.05	79.83
योग मण्डल		87.36	69.61	78.52

साक्षरता का प्रतिशत 6 से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मण्डल में जनपद नैनीताल का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तथा ऊधमसिंहनगर में सबसे कम है। लिंगवार साक्षरतान्तर्गत

जनपद ऊधमसिंह नगर में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अन्य जनपदों के सापेक्ष कम है।

कुमायूँ मण्डल में जूनियर बेसिक स्कूल 6780, सीनियर बेसिक स्कूल 1587 तथा 1293 माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं।

जनपदवार विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :—

(संख्या में)

क्र0 सं0	मद	जू0बे0 स्कूल	सी0बे0 स्कूल	हा0 से0 स्कूल	स्नातक / स्नातकोत्तर	विश्वविद्यालय
1	अल्मोड़ा	1458	194	311	9	--
2	बागेश्वर	694	143	111	4	--
3	नैनीताल	1296	306	238	6	3
4	ऊनगर	1219	405	296	13	1
5	पिथौरा	1491	391	238	7	--
6	चम्पावत	622	148	99	4	--
योग मण्डल		6780	1587	1293	43	4

जनसंख्या के आधार पर समीक्षा करने पर पाया गया है कि कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 157 जूनियर बेसिक स्कूल हैं। जिसमें से जनपद अल्मोड़ा में 233, बागेश्वर में 266, पिथौरागढ़ में 310, चम्पावत में 205, नैनीताल में 129 तथा ऊधमसिंह नगर में 74 स्कूल स्थापित हैं।

कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 40 सीनियर बेसिक स्कूल हैं। जिसमें से अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में 54, पिथौरागढ़ में 79, चम्पावत में 52, नैनीताल में 42 तथा ऊधमसिंह नगर में 25 स्कूल स्थापित हैं। कुमायूँ मण्डल में प्रतिलाख जनसंख्या पर 31 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें से जनपद अल्मोड़ा में 48, बागेश्वर में 42, पिथौरागढ़ में 47, चम्पावत में 34, नैनीताल में 30 तथा ऊधमसिंह नगर में 18 स्कूल स्थापित हैं।

कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय — बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सभी जनपदों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 75

प्रतिशत एवं शेष 25 प्रतिशत बी०पी०एल० श्रेणी की बालिकाएं प्रवेश ले सकती है। जनपद नैनीताल में खनस्यू, अल्मोड़ा में चगेठी एवं सुनाड़ी, पिथौरागढ़ में दशाईथल, ऊधमसिंह नगर में सितारगंज एवं बाजपुर एवं बागेश्वर में उत्तरौड़ा तथा जनपद चम्पावत में टनकपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय स्वीकृत है।

तकनीकी शिक्षा :- प्राथमिक एवं उच्चतर शिक्षा के उपरान्त व्यक्तियों को विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए वाँछित रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित होना वर्तमान समय में आवश्यकीय हो गया है। इस उद्देश्य से तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है, जो कि युवकों को शिक्षा के उपरान्त रोजगार प्राप्त करने हेतु सहायक हो सके।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2014–15 तक तकनीकी सुविधायें निम्नवत हैं :—
(संख्या में)

क्रम संख्या	जनपद	पालीटेक्निक	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
1	अल्मोड़ा	8	16
2	बागेश्वर	3	6
3	नैनीताल	5	13
4	ऊधमसिंह नगर	3	10
5	पिथौरागढ़	7	16
6	चम्पावत	3	8
योग मण्डल		29	69

अध्याय – 19

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

मण्डल में वर्ष 2014–15 तक 207 एलोपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय एवं 213 आयुर्वेदिक चिकित्सालय / औषधालय तथा 56 होम्योपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय और 26 सामु0 स्वा0 केन्द्र, 111 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त 832 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र / मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र स्थापित हैं।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2014–15 के अन्त में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :—

क्र0 सं0	जनपद	एलोपैथिक चि0 / औष0	प्रा0स्वा0 केन्द्र	सामु0 स्वा0 केन्द्र	चिकित्सालय में शैय्या	परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र उपकेन्द्र	आर्यौ0 चिकि0 एवं औष0	होम्योपैथिक चिकित्सालय / औषधालय
1	अल्मोड़ा	50	28	4	704	206	52	11
2	बागेश्वर	22	13	2	170	87	18	5
3	नैनीताल	63	18	8	1976	142	36	14
4	ऊ0 नगर	13	28	6	570	160	23	10
5	पिथौरागढ़	40	18	4	592	164	59	11
6	चम्पावत	19	6	2	214	73	25	5
योग मण्डल		207	111	26	4226	832	213	56

जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिलाख जनसंख्या पर जनपद अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 14, नैनीताल में 9, ऊधमसिंह नगर में 3, पिथौरागढ़ में 13 तथा चम्पावत में 10 एवं कुमाऊँ मण्डल में 8 एलोपैथिक चिकित्सालय/ औषधालय व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस मण्डल के प्रत्येक जनपद में जनसंख्या के अनुपात में चिकि0/ औष0 तथा उसमें उपलब्ध शैय्याओं की



संख्या पर्याप्त है, किन्तु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण मण्डल के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सालयों में सामान्य जनता का पहुँचना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः पर्वतीय अंचलों में औषधालयों तथा छोटे चिकित्सालयों की संख्या में वृद्धि किया जाना उपयुक्त होगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में (एन0आर0एच0एम0) कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर आशा कार्यक्रियों की नियुक्ति, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24X7 सुविधायें, आयुष का एकीकरण आदि कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

ई0एम0आर0आई0 108 — उत्तराखण्ड के सभी जनपदों में एन0आर0एच0एम0 के तहत ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेवायें प्रदान की जा रही है जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहुचाने के साथ—साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहुचाने का कार्य किया जा रही है। कुमाऊँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण सभी स्थानों पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।

अध्याय – 20

जल सम्पूर्ति

कुमाऊँ मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय होने के कारण ग्रामों में पेयजल की सुविधा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है कुओं, हैण्डपम्प तथा ट्यूबवैल द्वारा



जनपद नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के मैदानी भागों के ग्रामों में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। पर्वतीय ग्रामों में पेयजल की सुविधा शीघ्र नियमित कराये जाने की आवश्यकता है।

स्वच्छ पेयजल मानव जीवन के लिए नितान्त आवश्यक है। जल के बिना

जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्वतीय भू-भाग में अधिकांश जल स्रोत सूख रहे हैं तथा अधिकांश जल स्रोतों में जल का स्तर निरन्तर कम होता जा रहा है। अतः पर्वतीय भाग में जल स्रोतों के दोहन के साथ-साथ जल संरक्षण का कार्य वृहत् स्तर पर किया जाना आवश्यक है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण कार्यों को महत्व दिया जा रहा है। यद्यपि प्रत्येक आबाद ग्राम में उपलब्ध स्थानीय प्राकृतिक श्रोतों से पानी के पाइप पहुँचाये जाते हैं किन्तु गत वर्षों से जल श्रोत सूख जाने के कारण पेयजल आपूर्ति कम हो गयी है।

ग्रामों में जल श्रोतों एवं पाइप लाइन की देखरेख हेतु बहुत कम मानदेय पर अल्प समय वाले मजदूर रखे गये हैं इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अध्याय – 21

पर्यटन


कुमार्यू मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची-नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहाँ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची-नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश-विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।



जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बट पाक्र रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैंची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक / श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।



जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रुद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में माँ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।



जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थिति जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।




जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्त्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।



जनपद पिथौरागढ़ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में मॉ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब



में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलों का वर्णन :- अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमाऊँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहाँ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुएँ व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में “गोल्लू” का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता है कि मन्त्रों मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्त्र पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी-बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पार्क :- अल्मोड़ा से 3 किमी० दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है। जहाँ हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू हैं।

अल्मोड़ा से 6 किमी० दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहाँ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहाँ रुकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी० दूर 2420 मी० की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहां से चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी धना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते हैं इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणाक्र के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी० दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि

का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहाँ से हिमालय का विस्तृत श्रुंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमायूँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी0 चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरदूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रैकिंग दूर यहाँ से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी0 व बागेश्वर से 39 किमी0 की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रुंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमायूँ भ्रमण के दौरान महात्मा गांधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी0 की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थीं। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमायूँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है। नैनीताल से 22 किमी0 दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी0 की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21



किमी० की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बट नेशनल पाक्र में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वच्छ बिहार करते हैं। कालाढ़ूगी से



4 किमी० आगे नया गाँव में कार्बट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैची मन्दिर जहाँ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहाँ रात्रि

विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहाँ का गुरुद्वारा, कुओं व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि यहाँ गुरु नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी० दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहाँ मोर्स्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहाँ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी० दूर ध्वज से हिमालय शृखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी० की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहाँ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी० की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर

देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी0 पर गुपतड़ी तथा वहाँ से 8 किमी0 पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहाँ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी0 व बेरीनाग से 9 किमी0 दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर-दूर से कई श्रद्धालु आते हैं।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसरों में उपलब्ध शय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	4	12	430
2	बागेश्वर	25	15	368
3	नैनीताल	30	14	595
4	ऊधमसिंह नगर	13	2	30
5	पिथौरागढ़	24	21	503
6	चम्पावत	28	6	196
योग मण्डल		124	70	2122

उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु लाभार्थियों को 20 प्रतिशत मार्जन मनी का प्राविधान है।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु राज सहायता दी जाती है :—

1. 8 से 10 कमरे युक्त होटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना।
2. मोटर वर्कशाप / मोटर गैराज की स्थापना।
3. बस / टैक्सी परिवहन सुविधा संचालन योजना।
4. साहसिक क्रियाकलाप हेतु उपकरण क्रय योजना।
5. साधनाकुटी एवं योगध्यान केन्द्रों का विकास।
6. स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र।
7. टैन्ट आवासीय सुविधाओं की स्थापना।
8. पी0सी0ओ0 युक्त पर्यटक सूचना केन्द्र / रेस्टोरेन्ट का निर्माण।
9. फास्ट फूड केन्द्रों की स्थापना।

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति
माह: मार्च, 2015 (धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वार्षिक लक्ष्य (अनन्तिम)	बैंको को प्रेषित प्रार्थना पत्र		बैंको द्वारा स्वीकृत प्रार्थना पत्र संख्या		बैंको द्वारा वितरित प्रार्थना पत्र	
			संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्मोड़ा	43	38	469.78	32	152.99	32	152.99
2	बागेश्वर	50	97	490.72	66	247.91	66	247.91
3	पिथौरागढ़	42	40	125.77	27	64.76	27	64.76
4	चम्पावत	23	19	255.43	17	245.56	17	245.56
5	नैनीताल	50	125	633.27	36	126.11	32	157.64
6	ऊधमसिंह नगर	23	26	412.01	15	261.52	15	261.52
योग कुमाऊँ		231	345	2386.98	193	1098.85	189	1130.38

अध्याय – 22

सेवायोजन

मण्डल के सभी जनपदों में एक सेवायोजना कार्यालय की स्थापना की गई है,



जिसमें जिला सेवायोजन अधिकारी कार्यरत होते हैं। विभाग द्वारा चलाये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनायें निम्न प्रकार हैं :–

1. बेरोजगार व्यक्तियों का रोजगार हेतु पंजीयन कराना।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन का कार्य।
3. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्वतः रोजगार सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देना।
4. समाचार पत्रों के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी जानकारी देना।
5. शिक्षण मार्ग निर्देशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अभ्यर्थियों को रोजगार सहायता प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2014–15 में सेवायोजन कार्यालय द्वारा किये गये कार्य विवरण निम्न प्रकार रहा है :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	वर्ष में कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
1	अल्मोड़ा	2	68926	11126	14
2	बागेश्वर	1	28427	5266	399
3	नैनीताल	4	90651	16363	83
4	ऊधमसिंह नगर	2	92302	17813	226
5	पिथौरागढ़	1	65841	10136	204
6	चम्पावत	1	21685	5650	57
योग मण्डल		11	367832	66354	983

निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम

शैक्षिक उत्थान की योजनाएं

अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रेरित करने हेतु छात्रवृत्ति योजनायें संचालित की जाती हैं।

अनुसूचित जाति का कल्याण

1. **पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 :-** अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र/छात्राओं को अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु उनके माता पिता/अभिभावक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ₹0 50.00 प्रति माह कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ₹0 80.00 प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा में 25023, बागेश्वर में 15977, नैनीताल में 27439, ऊधमसिंह नगर में 98375, पिथौरागढ़ में 19633 तथा चम्पावत में 10274 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 196721 विद्यार्थियों को ₹0 1481.27 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

2. **पूर्वदशम छात्रवृत्ति कक्षा 9 एवं 10:-** अनुसूचित जाति के कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके माता पिता की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख तक है, छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है। छात्रवृत्ति डेस्कालर को ₹. 150 एवं हास्टलर ₹. 350 मासिक अधिकतम 10 माह के लिये अनुमन्य इसके अतिरिक्त तदर्थ अनुदान डेस्कालर को ₹. 750 एवं हास्टलर को ₹. 1000 वार्षिक दिये जाने को प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा में 6510, बागेश्वर में 2811, नैनीताल में 4857, ऊधमसिंह नगर में 17305, पिथौरागढ़ में 5299 तथा चम्पावत में 1200 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 37982 विद्यार्थियों को ₹0 863.94 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

3. **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना :-** अनुसूचित जाति के कक्षा 11 से लेकर स्नातकोत्तर, मेडिकल, इंजीनियरिंग कक्षाओं तक अध्ययन छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना के तहत भारत सरकार

द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। ₹0 2.50 लाख वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के आवासीय छात्रों को न्यूनतम ₹0 380.00 प्रतिमाह अधिकतम ₹0 1200.00 तक तथा अनावासीय छात्रों को न्यूनतम ₹0 230.00 प्रतिमाह अधिकतम ₹0 550.00 प्रतिमाह दिये जाते हैं। छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण की प्रक्रिया पूर्वदशम छात्रवृत्ति की भांति अपनायी जाती है। वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में 6560, बागेश्वर में 2660, नैनीताल में 8890, ऊधमसिंह नगर में 14039, पिथौरागढ़ में 5321 तथा चम्पावत में 1627 छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 39097 विद्यार्थियों को ₹0 2827.46 लाख छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

4. अनुसूचित जातियों के लिए राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना :— अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सेवाओं/सिविल सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनान्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाये जो कोचिंग प्रदान करते हैं के माध्यम से प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग दिये जाने का प्राविधान है।

5. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय :— समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में निशुल्क शिक्षा, अतिरिक्त भोजन, आवास, कपड़े, कापी, किताब आदि की सुविधायें निशुल्क दी जाती हैं। कुमायू मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में जैंती व ऊधमसिंह नगर में एक-एक बालकों के आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित हैं। वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा के जैंती में ₹0 22.63 लाख, ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में 60 लाभार्थियों पर ₹0 44.86 लाख तथा जनपद नैनीताल में बेतालघाट में 137 लाभार्थियों पर ₹0 55.06 लाख व्यय किये गये हैं।

6. अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास :— अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। जिसमें निशुल्क आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। कुमायू मण्डल में जनपद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा, नैनीताल में पाइन्स, शहीद सैनिक स्कूल परिसर, पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शहर व चम्पावत में लोहाघाट में बालकों एवं पिथौरागढ़ में बालिकाओं के लिए एक छात्रावास स्थापित है। उक्त छात्रावासों में निशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जाति

के छात्र/छात्राओं हेतु जनपद नैनीताल–पाइन्स में 72 लाभार्थियों पर ₹0 33.68 लाख, अल्मोड़ा में 48 लाभार्थियों पर ₹0 18.20 लाख, पिथौरागढ़ में 98 लाभार्थियों पर ₹0 19.57 लाख व्यय किया गया है। चम्पावत में ₹0 14.60 लाख में से 48 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

7. **अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता :-** सर्वण जाति के व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अत्याचार से उत्पीड़ित व्यक्ति को समाज कल्याण अधिकारी/पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी की संस्तुति पर आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा में 2, बागेश्वर में 3, नैनीताल में 10, ऊधमसिंह नगर में 23, पिथौरागढ़ में 1 तथा चम्पावत में 2 उत्पीड़ित को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 41 लोगों को ₹0 22.98 लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

8. **गौरा देवी कन्याधन योजना (अनुसूचित जाति की बालिकाओं हेतु):-** बी०पी०एल० परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 15976/- तथा शहरी क्षेत्र में ₹0 21206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गौरा देवी कन्याधन योजना में ₹. 50000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक एफ.डी. के रूप में शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जाति है। वर्ष 2014–15 में जनपद नैनीताल में 588, अल्मोड़ा में 950, पिथौरागढ़ में 532, बागेश्वर में 297, चम्पावत में 193 तथा ऊधमसिंह नगर में 678 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 3238 बालिकाओं को लाभान्वित कर ₹0 1619.00 लाख व्यय किया गया है।

9. **अटल आवास योजना :-** यह योजना अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु मण्डल में संचालित की जा रही है, जिस हेतु जनपद नैनीताल में 75, अल्मोड़ा में 54, पिथौरागढ़ में 177, बागेश्वर में 22, चम्पावत में 18 तथा ऊधमसिंह नगर में 54 आवासों का निर्माण किया गया। इस प्रकार मण्डल में 400 आवासों पर ₹0 151.28 लाख व्यय किया गया।

पिछड़ी जातियों का कल्याण

1. पूर्वदशम छात्रवृत्ति :— वर्ष 2014–15 में पिछड़ी जाति के कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 8 तथा कक्षा 9 से 10 तक अध्ययनरत जनपद अल्मोड़ा में 2288, बागेश्वर 621, नैनीताल में 1723, ऊधमसिंह नगर में 10095, पिथौरागढ़ में 1985 तथा चम्पावत में 0 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 16712 विद्यार्थियों को रु0 144.83 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी।
2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति :— वर्ष 2014–15 में पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को जनपद अल्मोड़ा में 513, बागेश्वर में 435, नैनीताल में 1640, ऊधमसिंह नगर में 9883, पिथौरागढ़ में 1902 तथा चम्पावत में 342 छात्रवृत्ति वितरित की गयी। इस प्रकार मण्डल में कुल 14715 छात्र/छात्राओं को रु0 3379.40 लाख छात्रवृत्ति वितरित की गयी।

सामाजिक विकास हेतु कार्यक्रम

1. बृद्धावस्था पेशन :— बृद्धावस्था पेशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1–1–2014 से पेशन दर रु0 800/-प्रतिमाह तथा माह मार्च 2014 से मासिक आय रु0 4000/-प्रतिमाह की गयी हैं जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बृद्धजनों को 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 200/-प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के बृद्धजनों को रु0 500/-प्रतिमाह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय बृद्धावस्था पेशन के रूप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 800/-प्रतिमाह के अन्तर्गत पेशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2014–15 को अल्मोड़ा में 37326, बागेश्वर में 15844, नैनीताल में 21917, ऊधमसिंह नगर 33862, पिथौरागढ़ में 19671 तथा चम्पावत में 11826 व्यक्तियों को वृद्धा पेशन वितरित की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 140466 व्यक्तियों को पेशन प्रदान की गयी है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :— 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु के गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण मृतक के आश्रित को एकमुश्त रु0 20,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। वर्ष 2014–15 को अल्मोड़ा में 222, बागेश्वर में 186, नैनीताल में 182, ऊधमसिंह नगर 382,

पिथौरागढ़ में 242 तथा चम्पावत में 92 परिवारों को अनुदान दिया गया। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 1306 परिवारों को अनुदान प्रदान किया गया।

3. अन्य सहायता :— अनुसूचित जाति के निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु रु 50000.00 व बीमारी के इलाज हेतु रु0 10000.00 की सहायता समाज कल्याण के विभाग द्वारा दी जाती है। वर्ष 2014–15 में कुमायूँ मण्डल में अल्मोड़ा में 81, बागेश्वर में 38, नैनीताल में 61, ऊधमसिंह नगर में 111, पिथौरागढ़ में 9 तथा चम्पावत में 40 निराश्रित विधवाओं की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 340 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गयी।

4. किसान पेंशन योजना — किसान पेंशन योजना 15 अगस्त 2014 से लागू की गई है। किसान पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के किसानों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धा, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना की भांति रु 800 /— (रुपये आठ सौ मात्र) प्रतिमाह पेंशन अनुमन्य की जायेगी। किसान पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को किसान पेंशन योजना के अतिरिक्त अन्य किसी सोत्र से पेंशन अनुमन्य नहीं होगी। किसान पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ऐसे किसानों को भूमि के सम्बन्ध में रु 10/- के स्टाम्प पेपर पर शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं की भूमि में खेती कर रहे हों तथा जिस दिन से ऐसे किसानों द्वारा स्वयं की भूमि खेती करने के कार्य बन्द किया जायेगा, उसी दिन से इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही है पेंशन की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी। वर्ष 2014–15 को अल्मोड़ा में 866, बागेश्वर में 354, नैनीताल में 1336, ऊधमसिंह नगर 404, पिथौरागढ़ में 1207 तथा चम्पावत में 832 व्यक्तियों को किसान पेशन वितरित की गयी है। इस प्रकार कुमायूँ मण्डल में 4999 व्यक्तियों को किसान पेशन प्रदान की गयी है।

विकलांगों के कल्याणार्थ योजनायें

1. **विकलांग छात्रवृत्ति** :- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के जिन विकलांग अभिभावकों की मासिक आय रु0 2000/-प्रतिमाह के अन्तर्गत है, उनके विकलांग बच्चों को जो अध्ययनरत हैं, को विकलांग छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2014-15 में कक्षा 8 से ऊपर विकलांग छात्र/छात्राओं को जनपद बागेश्वर में 119, जनपद चम्पावत में 228 जनपद नैनीताल में 368, जनपद अल्मोड़ा में 126, जनपद पिथौरागढ़ में 188 एवं जनपद ऊधमसिंह नगर में 496 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।
2. **विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र क्रय अनुदान** :- वर्ष 2014-15 में जनपद अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर में 40, नैनीताल में 22, ऊधमसिंह नगर में 97, पिथौरागढ़ में 15 तथा जनपद चम्पावत में 27 विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण यंत्र क्रय हेतु अनुदान दिया गया है। इस प्रकार मण्डल में 218 लाभार्थियों को रु0 11.27 लाख अनुदान दिया गया है।
3. **विकलांग पेंशन** :- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजनों को, जिनकी मासिक आय रु0 4000/-प्रतिमाह से अधिक न हो, को रु0 800/- प्रतिमाह की दर से पेशन राज्य सरकार द्वारा दी जाती है जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बहुविकलांगता (80 प्रतिशत से अधिक) श्रेणी में आते हैं, के 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में रु0 300/-प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के विकलांगजनों को रु0 500/-प्रतिमाह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेशन के रूप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा रु0 800/-प्रतिमाह के अन्तर्गत पेशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में जनपद अल्मोड़ा में 4942 बागेश्वर में 2233, नैनीताल में 4386, ऊधमसिंह नगर में 5955, पिथौरागढ़ में 2985 तथा जनपद चम्पावत में 1745 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 22246 लाभार्थियों को रु0 2094.30 लाख भरण-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।
4. **तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना**:- इस योजनान्तर्गत कृषि व्यवसाय से जुड़ी ऐसी महिलाओं तथा पुरुषों को पेशन दिये जाने का प्राविधान है जो कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए हो और जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 20 से 40 प्रतिशत के मध्य हो तथा अनकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हो

इस योजना के अन्तर्गत ₹ 800/- प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जायेगा इस योजना मे पात्रता हेतु मासिक आय का प्राविधान नहीं है। वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा में 5 बागेश्वर में 3, पिथौरागढ़ में 8 तथा जनपद चम्पावत में 17 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। इस प्रकार मण्डल में कुल 33 लाभार्थियों को ₹0 0.70 लाख भरण–पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

5. विकलांग दम्पत्तियों के शादी पर अनुदान :— पूर्व में विकलांगजनों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरुष में विकलांगता होने पर ₹0 11000/- तथा युवती अथवा दोनों के विकलांग होने पर ₹0 14000/- की प्रोत्साहन धनराशि प्रदान दिये जाने का प्राविधान था। वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रोत्साहन धनराशि को बढ़ाकर ₹ 25000/- कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा में 10, बागेश्वर में 2, नैनीताल में 4, ऊधमसिंह नगर में 5, पिथौरागढ़ में 1 तथा चम्पावत में 3 विकलांग दम्पत्तियों के शादी पर अनुदान प्रदान किया गया है। इस प्रकार कुमायू मण्डल में कुल 25 विकलांग दम्पत्तियों को ₹0 4.77 लाख का अनुदान प्रदान किया गया है।

6. विकलांगजनों के कल्याण हेतु सेमिनारों का आयोजन :— वर्ष 2014–15 में नैनीताल में 2, अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 1, ऊधमसिंह नगर में 2, पिथौरागढ़ में 3 तथा चम्पावत में 1 सेमिनारों का आयोजन किया गया। जिस पर ₹0 0.69 लाख व्यय किया गया है।

राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों की यात्रा नियमावली 1998 के अन्तर्गत 40 प्रतिष्ठत से अधिक विकलांगता के चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर निशुल्कयात्रा सुविधा भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

दक्ष विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया जाता है।

महिला कल्याण की योजनायें

1. निराश्रित विधवा पेंशन :— 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवाओं को विधवा भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-1-2014 से पेंशन दर ₹ 800/-प्रतिमाह तथा माह मार्च 2014 से मासिक आय ₹ 4000/-प्रतिमाह की गयी हैं जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली निराश्रित विधवाओं को 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग में ₹ 300/-प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को ₹ 500/-प्रतिमाह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेशन के रूप में सहायता केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है तथा ₹ 800/-प्रतिमाह के अन्तर्गत पेशन का शेष अंश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2014-15 में अल्मोड़ा में 11930, बागेश्वर में 4601, नैनीताल में 9551, ऊधमसिंह नगर में 14462, पिथौरागढ़ में 7466 तथा चम्पावत में 4604 निराश्रित विधवाओं को विधवा पेशनवितरित की गयी है, इस प्रकार मण्डल में कुल 54643 लाभार्थियों को ₹ 5117.51 लाख भरण-पोशण हेतु अनुदान प्रदान किया गया है।

2. गौरा देवी कन्याधन योजना (सामान्य जाति की बालिकाओं हेतु) :— बी०पी०एल० परिवारों अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹ 15976/- तथा शहरी क्षेत्र में ₹ 21206/- वार्षिक आय वाले परिवारों की बालिकाओं को इण्टरमीडियेट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गौरा देवी कन्याधन योजना में ₹. 50000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा बैंक एफ.डी. के रूप में शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदान की जाति है। वर्ष 2014-15 में जनपद नैनीताल में 2045, अल्मोड़ा में 3006, पिथौरागढ़ में 1252, बागेश्वर में 783, चम्पावत में 990 तथा ऊधमसिंह नगर में 2335 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार मण्डल में कुल 10411 बालिकाओं को लाभान्वित कर ₹ 5206.50 लाख व्यय किया गया है।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

उद्देश्य :-

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संस्थाधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउडेशन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

लक्षित समूह :-

अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदाय शामिल हैं। इन समुदायों के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 1,03,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 81,000 से कम हो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम की योजनाओं एवं राज्य की स्वतः रोजगार योजना हेतु पात्र होंगे। मुख्यमंत्री हुनर प्रशिक्षण योजना में वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 4,50,000 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु0 3,50,000 तक तथा मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना हेतु वार्षिक आय रु0 1,00,000 मान्य है।

वित्तीय सहायता योजना :-

अ. राज्य निगम की योजनाएँ :—

1. **अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना :-** इस योजना में निगम द्वारा रु0 1,00,000 तक का ऋण स्वयं 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर, जिसमें योजना का 60 प्रतिशत टर्मलोन, 25 प्रतिशत अनुदान एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंश वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रु0 1.01 लाख से रु0 5 लाख तक का ऋण बैंकों के माध्यम से जिसमें योजना का 40 प्रतिशत टर्मलोन, 25 प्रतिशत अनुदान तथा 20 प्रतिशत बैंक ऋण एवं 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं का अंश वहन किया जाता है तथा रु0 5 लाख से रु0 10 लाख तक की योजना बैंक के माध्यम से जिसमें योजना का 60 प्रतिशत बैंक ऋण व 25 प्रतिशत अनुदान निगम द्वारा दिया जाता है। शेष 15 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। समस्त योजना का चयन जिला स्तर पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है। योजना हेतु पात्र अभ्यर्थी की उम् 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अनुदान की राशि बैंक इन्डेंड होगी। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014, 15 में जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह

नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 15, 15, 42, 15, 15, 42 के सापेक्ष क्रमशः 18, 8, 29, 6, 22, 41 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

2. मुख्यमंत्री हुनर योजना :— इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षार्थियों को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित होना चाहिए। लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षार्थी की शैक्षिक योग्यता पारम्परिक प्रशिक्षण हेतु कम से कम 5वीं/साक्षर होनी चाहिए। प्रार्थी की शिक्षा राजकीय स्कूलों से हुई हो अथवा मदरसों से हो दोनों मान्य होगी। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के व्यवसायों के प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रु0 3,50,000 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 4,50,000 तक होनी चाहिए। प्रार्थी उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के समय छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 35, 80, 35, 80 के सापेक्ष क्रमशः 40, 85, 24, 50 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

3. जीविका प्रोत्साहन योजना :— जीविका अवसर प्रोत्साहन को अब परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत समाहित कर लिया गया है। ऋण अनुदान पूर्वरत दिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत अल्प संख्यक समुदाय के परिवारों को जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 55,000 ग्रामीण क्षेत्र में रु0 40,000 है, को रु0 2 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिये जाने का प्रावधान है। जिसमें 30 प्रतिशत मार्जिन मनी, ऋण 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 10,000 अनुदान एवं लाभार्थी अंश सम्मिलित होता है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 10, 20, 10, 20 के सापेक्ष क्रमशः 65, 75, 25, 50 व्यक्ति को लाभान्वित किया गया।

4. मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंस फाउन्डेशन योजना :— माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के गरीब अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण अधिकतक रु0 5 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है। जिसकी वापिसी सेवा नियोजित होने या शिक्षा पूर्ण होने के छः माह के उपरान्त से अगले 3 वर्षों में की जायेगी। पात्र अभ्यर्थी 12वीं उत्तीर्ण हो, आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होनी चाहिये, परिवार की आय रु0 1 लाख से अधिक न हो। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 जनपद बागेश्वर, चम्पावत, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1, 1, 11 छात्रों हेतु क्रमशः 4.8, 3.06, 38.937 लाख रु0 स्वीकृत कर 31 मार्च 2015 तक क्रमशः 1.2, 1.02, 15.595 लाख रु0 भुगतान किय जा चुका है।

(ब) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की योजनायें

1. सावधिक ऋण योजना (टर्म लोन योजना) :— सावधिक ऋण योजना के अन्तर्गत रु0 20 लाख तक की परियोजना लागत पर विचार किया जाता है। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। राष्ट्रीय निगम के ऋणांश पर ब्याज की दर 6 प्रतिशत है। इस

योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014, 15 में जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 15 के सापेक्ष 1 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया। अन्य जनपदों हेतु वित्तीय वर्ष 2014, 15 में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

2. लघु ऋण योजना :— राष्ट्रीय निगम इस योजना में चयनित और प्रमाणित स्वयंसेवी संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के गरीबों को लघु वित्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सर्वप्रथम लाभार्थी को स्वयं सहायता समूह गठित करना पड़ता है और प्रभावी बचत की नियति डालनी पड़ती है। लघु योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को ₹0 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है। परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ब्याज की दर 4 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित है।

3. वोकेशनल ट्रेनिंग (व्यवसायिक प्रशिक्षण) :— अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को उनकी दक्षता बढ़ाने हेतु कौशल बृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योजना के अन्तर्गत स्थानीय प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि ४ माह से 1 वर्ष तक होती है। अनुदान के रूप में प्रशिक्षण का (90 प्रतिशत व्यय राष्ट्रीय निगम तथा 10 प्रतिशत राज्य निगम द्वारा) ₹0 2,000 प्रति छात्र की दर से वहन किया जाता है, तथा प्रति प्रशिक्षार्थी ₹0 1,000 प्रतिमाह राष्ट्रीय निगम द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रस्ताव राज्य स्तर से स्वीकृत कर राष्ट्रीय निगम को प्रेषित किये जाते हैं। प्रशिक्षण दायी संस्थाओं से न्यूनतकम 70 प्रतिशत प्लेसमेन्ट की शर्त निर्धारित है।

4. शिक्षा ऋण योजना :— गरीबी रेखा से दुगुनी आय के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को राष्ट्रीय निगम के माध्यम से विभिन्न व्यवसायिक शिक्षा हेतु 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें प्रतिवर्ष 3 लाख या अलग-अलग कोष की दर से व 5 वर्ष की व्यवसायिक शिक्षा हेतु अधिक से अधिक ₹0 15,00,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वीकृत ऋण लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम ऋणांश, 5 प्रतिशत राज्य निगम ऋणांश तथा शेष 5 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2 के सापेक्ष 1 लाभार्थी को लाभान्वित किया गया।

5. रहबर प्रशिक्षण योजना :— इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 40, 60, 20, 60 के सापेक्ष क्रमशः 25, 80, 20, 65 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

उत्तराखण्ड बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम

उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ावर्ग, विकलांग, महिला एवं सैनिक कल्याण के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तरांचल बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का गठन 25 अक्टूबर 2001 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन किया गया है। निगम का प्रशासनिक विभाग समाज कल्याण विभाग है। निगम द्वारा निर्बल वर्ग के कल्याण हेतु चलायी जा रही योजनाएं निम्नलिखित हैं :—

1. स्वतः रोजगार योजना :— यह योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (सूत्र संख्या 11 क) तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता (सूत्र संख्या 11 ग) मदनाम से सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ₹0 15976.00 तथा शहरी क्षेत्र में ₹0 21206.00 कम वार्षिक आय वाले परिवारों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित हेतु सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में ₹0 20.00 हजार, ₹0 7.00 लाख तक की परियोजनाओं के संचालन हेतु राष्ट्रीयकृत/सरकारी ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। निगम द्वारा योजना की लागत का 50 प्रतिशत या ₹0 10000.00 जो भी कम हो अनुदान एवं ₹0 20000.00 से अधिक लागत वाली योजना से अनुदान के अतिरिक्त योजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जन मनी ऋण भी 4 प्रतिशत ब्याज पर निगम द्वारा दिया जाता है। लेकिन अनुदान तथा मार्जन मनी ऋण योजना लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में दी जाती है। सूत्र संख्या 10 ग में अनुसूचित जनजाति आर्थिक सहायता मदमें वर्ष 2014–15 में जनपद अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 12, नैनीताल में 30, ऊधमसिंह नगर में 648, पिथौरागढ़ में 114 तथा चम्पावत में 4 परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है। सूत्र संख्या 10 (क) अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता के अन्तर्गत अल्मोड़ा 180, बागेश्वर 146, नैनीताल 162, ऊधमसिंह नगर 172,

पिथौरागढ 115, चम्पावत 95 परिवारों को स्वतः रोजगार हेतु सहायता प्रदान की गयी है।

2. स्वच्छकार विमुक्ति योजना :- स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की विमुक्ति एवं पुर्नवास की योजना भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1992 को प्रारम्भ की गई। जिसे वर्ष 2007 से मैनुअवल स्केवैन्जरो के पुर्नवास की स्वरोजगार योजना (ट्डै)नयी योजना के रूप में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वह स्वच्छकार जो अपनी रोजी के लिये सर पर मैला ढोने जैसे अमानवीय एवं घृणित पैत्रिक धन्धे में लगे हैं, को इस घृणित पृथा से मुक्त कराकर सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

वर्तमान में भारत सरकार की दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर इस राज्य में पाये गये 49 नगरीय क्षेत्रों में चिह्नित 5503 भवनों में उपलब्ध शुष्क शौचालयों में संलिप्त स्वच्छकारों के पुनर्वेक्षण का कार्य जिसमें जनपद पिथौरागढ में 05, जनपद चम्पावत में 02, जनपद नैनीताल में 10 एंवं जनपद ऊधमसिंहनगर में 30 स्वच्छकार चिन्हांकित किए गए हैं। इन्हें प्रथम चरण में रु0 40,000.00 की नगद धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। इन्हें स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को धनराशि की मॉग की गयी है।

3. शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना :- जिन अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के पास शहरी क्षेत्र/अद्व शहरी क्षेत्र अथवा उपयुक्त व्यवसायिक स्थलों पर अपनी स्वयं की भूमि उपलब्ध है। उन्हें उस भूमि पर दुकान/विपणन केन्द्र बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 85,000.00 एवं शहरी क्षेत्रों में रु0 78,000.00 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें रु0 10000/- अनुदान दिये जाने का प्राविधान है तथा अवशेष की वसूली 120 समान किस्तों में की जाती है। दुकान बनाने के पश्चात् उन्हें अपना व्यवसाय चलाने हेतु भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4. प्रशिक्षण योजनाएं :- अनुसूचित जाति के युवक—युवतियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है जैसे कम्प्यूटर, सिलाई, कड़ाई, बुनाई आदि प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को निगम द्वारा वहन किया जाता है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे स्वावलम्बी बन सकें। विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से 5 प्रतिशत धनराशि प्रशिक्षण पर व्यय करने का प्राविधान है।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रम :- अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत वाहन योजना, लघु व्यवसाय, लघु वित्त ऋण एवं विभिन्न प्रशिक्षण हेतु लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत योजना की लागत का 85 प्रतिशत ऋण एवं ₹0 10000/- अनुदान एवं शेष धनराशि निगम की मार्जिन मनी ऋण द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा सीधा वित्त पोषण किया जाता है।

अध्याय – 24

शान्ति एवं कानून व्यवस्था

आम नागरिकों के सहयोग के बिना किसी भी सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर भयमुक्त वातावरण बनाना पुलिस की प्राथमिकता है। इस उद्देश्य को नागरिकों के सक्रिय सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है।

मण्डल के रैगुलर पुलिस क्षेत्र में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है।

उत्तराखण्ड मित्र पुलिस की अवधारणा को साकार करने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने के प्रयास प्रशासन स्तर पर किये जा रहे हैं।

कुमायूँ मण्डल में वर्ष 2013–14 में जनपदवार पुलिस स्टेशन (थाना)

क्र0 सं0	मद	अल्मोड़ा	बागेश्वर	नैनीताल	ऊधम सिंहनगर	पिथौरागढ़	चम्पावत	मण्डल
पुलिस स्टेशन (थाना) संख्या								
1.	नगरीय	5	3	4	2	11	4	29
2.	ग्रामीण	4	2	10	10	3	4	33
योग		9	5	14	12	13	8	62

मण्डल की आर्थिक समस्यायें तथा सुझाव

कुमायूँ मण्डल का लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है। शेष 25 प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है। जो जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में पड़ता है। मैदानी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विकसित क्षेत्र है। विकास की गति प्रदेश के औसत गति की तुलना में अधिक है। मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र जिनमें जनपद चम्पावत का अधिकतर क्षेत्र व अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल का कुछ पर्वतीय आता है, उनमें आर्थिक विकास सम्बन्धी अनेक समस्यायें हैं, जिनके कारण यहाँ पर विकास की गति धीमी है।

कुमायूँ मण्डल में पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक समस्यायें निम्न हैं :-

1. इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। इस क्षेत्र में अधिकांश भूमि वनों के अन्तर्गत तथा कृषि के लिए अयोग्य होने के कारण कृषि योग्य भूमि बहुत कम बची है। कुल क्षेत्रफल का लगभग 27 प्रतिशत भूमि ही कृषि योग्य है। यही कारण है कि लगभग 75 प्रतिशत कृषकों के पास एक हैकटेयर से कम भूमि है। जोतें सीड़ी नुमा तथा बिखरी हुई हैं। सिंचाई साधनों की कमी के कारण अधिकांश कृषि वर्षा पर आधारित है। ऐसी स्थिति में परम्परागत कृषि मडुवा, सॉवा आदि मोटे अनाजों की खेती से ग्रामों का आर्थिक विकास में अवरोध सिद्ध हो रहा है।
2. पर्वतीय भू-भाग में उद्योग धन्धों का अभाव होने के कारण रोजगार के अवसर नगण्य है तथा इस कारण रोजगार की तलाश में मैदानी भाग की ओर श्रम शक्ति का तेजी से पलायन हो रहा है। पर्वतीय भू-भाग में विद्युत की अनियमित आपूर्ति उत्पादों के समुचित विपणन व्यवस्था न होना भी प्रमुख समस्या है।
3. जीवन जल से जुड़ा है। पर्वतीय भू-भाग में पेयजल श्रोतों के सूखजाने अथवा जल स्तर कम हो जाने से ग्रीष्म काल में पेयजल एक प्रमुख समस्या बन जाती है।
4. पर्वतीय भू-भाग में पर्यटन की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण एवं दर्शनीय स्थल मौजूद हैं, परन्तु अधिकांश पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन के अच्छे साधन, ठहरने एवं

भोजन हेतु अच्छे होटलों का अभाव होने के कारण पर्यटकों के आकर्षित नहीं होने से पर्यटन स्थलों का आर्थिक विकास में भी योगदान नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव

1. पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय अधिकांश महिलाओं पर आधारित है। कृषि के सम्बन्ध में निर्णय भी महिलाओं द्वारा लिया जाता है। जोखिम लेने से बचने तथा कृषि की नई तकनीकों एवं उन्नत किस्म के बीजों की जानकारी न होने के कारण कृषि जोतें छोटी-छोटी, बिखरी तथा असिंचित होने के कारण परम्परागत कृषि कार्य ही अधिकांश क्षेत्रों में हो रहा है। अतः अधुनान्त कृषि तकनीक के सम्बन्ध में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, कृषि उत्पादन के विपणन की जगह सुविधायें उपलब्ध कराना, कर उन्नत कृषि तथा औद्योगिकी तथा बेमौसमी सब्जियों, पुष्पों तथा जड़ी बूटियों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा कृषि को उपयोगी बनाने के प्रयास कारगर हो सकते हैं।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में Low Volume High Cost वाली औद्योगिक उत्पादकों की इकाईयों को प्रोत्साहित कर औद्योगिकीकरण की पहल की जाने से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर श्रम शक्ति के पलायन पर रोक लगाया जा सकता है। अतः Low Volume High Cost वाली औद्योगिक इकाईयों तथा सुविधायुक्त क्षेत्रों की पहचान के लिए कार्य दलों का गठन कर सार्थक प्रयास हो सकते हैं।
3. पर्वतीय भू-भाग में पेयजल स्रोतों पर जल संरक्षण के कार्य विशेष, कार्य योजना तैयार कर स्थानीय जनता में जागरूकता प्रदान कर जन सहयोग किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जल स्रोतों के आस पास बॉज, उतीस के पौध का रोपण, ट्रिंचिंग खोद कर वर्षा के पानी को रोक कर जल संरक्षण का कार्य करने से पेयजल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भूमि एवं जल संरक्षण योजना तथा जलागम योजना में यह कार्य किया भी जा रहा है। ऐसे कार्यों के प्रभावों का भी समय समय पर अध्ययन एवं मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है।

4. भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। किन्तु अभी तक दूरस्थ स्थित पर्यटन स्थलों पर सुविधायें व्यापक स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश पर्यटक नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी आदि चुने स्थानों पर जाते हैं। अतः दूरस्थ स्थित पर्यटक स्थलों के लिए आवागमन तथा निवास की सुविधाओं पर ध्यान देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। पर्यटक सुविधाओं के लिए मध्यम वर्ग के पर्यटकों को भी ध्यान में रखने से पर्यटकों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि स्थानीय व्यक्तियों द्वारा टूरिस्ट गाइड का कार्य किया जाय तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही मण्डल में रोजगार के नये अवसर भी बढ़ेंगे।

#####